भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1260

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

1260. श्री बी. एन. बचेगौडा:

श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को प्रदत्त निधि का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): एनसीएलपी स्कीम केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत, परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कलेक्टर/जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तर पर परियोजना सोसायटियां स्थापित की जाती हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को काम से छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन और एनसीएलपी स्कीम का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शिता के साथ काम का समय पर निपटान सुनिश्चित करते हुए बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से एनसीएलपी को सफल बनाने के लिए पेन्सिल (बाल श्रम मुक्त के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत, निधियां सीधे जिला परियोजना सोसायटियों को उपलब्ध कराई जाती हैं जो विशेष प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेन्सियों/सिविल सोसायटी संगठन आदि को कार्यसंलग्न करती हैं और निधियों का आबंटन करती हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत राज्यवार जारी अनुदान-सहायता अनुबंध-I पर दी गई है।

* **********

अनुबंध-I

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संबंध में श्री बी. एन. बचेगौडा और श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा दिनांक 25.11.2019 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1260 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

वर्ष 2018-19 के दौरान एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत जारी राज्यवार अनुदान निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2018-19**
1.	आंध्र प्रदेश	309.46
2.	असम	1109.45
3.	गुजरात	99.41
4.	हरियाणा	234.66
5.	जम्मू और कश्मीर	56.14
6.	कर्नाटक	184.23
7.	मध्य प्रदेश	514.34
8.	महाराष्ट्र	106.19
9.	ओड़िशा	138.62
10.	पंजाब	256.88
11.	राजस्थान	319.46
12.	तमिलनाडु	878.53
13.	तेलंगाना	204.56
14.	उत्तर प्रदेश	1420.72
15.	पश्चिम बंगाल	1896.90